85

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः– राकेश कुमार मीना आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः– 396 / 2021
वादपत्र अन्तर्गत धारा :– 88 / 53 आरटीए

1. लवदीप सिंह पुत्र श्री गुरदीप सिंह जाति जटसिख निवासी बुगलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
2. लखविन्द्र सिंह पुत्र श्री इकबाल सिंह जाति जटसिख निवासी बुगलांवाली तह.संगरिया जिला हनुमानगढ

वादीगण

बनाम

1. दलबारा सिंह पुत्र श्री गुरदयाल सिंह जाति जटसिख नि.बुगलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
2. गुरदीप सिंह पुत्र श्री दलबारा सिंह जाति जटसिख नि.बुगलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
3. कुलदीप कौर पत्नी श्री गुरदीप सिंह जाति जटसिख नि.बुगलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
4. रमनदीप कौर पुत्री श्री गुरदीप सिंह जाति जटसिख नि.बुगलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
5. गगनदीप कौर पुत्री श्री गुरदीप सिंह जाति जटसिख नि.बुगलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
6. इकबाल सिंह पुत्र श्री दलबारा सिंह जाति जटसिख नि.बुगलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
7. सुखजीत कौर पत्नी ईकबाल सिंह जाति जटसिख नि.बुगलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
8. गुरप्रीत कौर पुत्र श्री ईकबाल सिंह जाति जटसिख नि.बुगलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
9. प्रनीत कौर पुत्री श्री ईकबाल सिंह जाति जटसिख नि.बुगलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
10. कर्मजीत कौर पुत्री श्री दलबारा सिंह जाति जटसिख नि.बुगलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
11. एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड शाखा हनुमानगढ़
12. पी.एन.बी. पूर्व ओ.बी.सी. शाखा खैरूवाला
13. बैंक ऑफ बडौदा शाखा संगरिया
14. तहसीलदार राजस्व संगरिया
15. राजकीय उच्च मा. विद्यालय बुगलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ जरिए प्रधानाचार्य अश्विनी शर्मा पुत्र श्री ओमप्रकाश शर्मा जाति ब्राहमण निवासी वार्ड सं. हनुमानगढ़ जं.

प्रतिवादीगण

उपस्थित –

1. श्री शिवशंकर एडवोकेट (वादीगण)
2. अनिल चोयल एडवोकेट (प्रति.सं. 1 ता 10, 15)
3. तहसीलदार राजस्व संगरिया (प्रतिवादी संख्या 14)

निर्णय

दिनांकः– 22.07.2024

अधिवक्ता वादीगण द्वारा यह राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 / 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्य निम्नाअनुसार है कि वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 10 आपस में सगे संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्य है।

चक नं.	खाता सं.	कुल भूमि	पारिवारिक भूमि
25 / 1 एएमपी	64 / 46	5.402है.	5.402है.
25 / 1 एएमपी	30 / 22	7.946है.	7.946है.
10 डीएलपी	14 / 13	2.325है.	2.325है.
29 एएमपी	15 / 14	1.354है.	1.354है.
21 एमजेडी	21 / 13	1.551है.	1.551है.
19 एमजेडी	23 / 14	5.061है.	5.061है.

उक्त समस्त कृषि भूमि विरासतन कृषि भूमि है तथा वादीगण के परदादा से ही प्रतिवादी सं. 1 व 2,6 को प्राप्त हुई है तथा वादीगण की उक्त भूमि में जन्म से प्राप्त हित व स्वत्व निहीत है। उक्त खाता की असल जमाबंदी संलग्न वाद पत्र है। उक्त चूंकि विरासतन कृषि भूमि है परन्तु मौका पर प्रतिवादीगण स. 1,2 व 6

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.08.06 13:37:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

…नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा वादीगण की प्रतिवादी सं. 1,2 व 6 के साथ जीवन यापन करना …चारों की भिन्नता के कारण दुर्भर हो गया तथा वादीगण को अपने व अपने परिवार के भरण पोषण हेतु …य की आवश्यकता होती है इस कारण बिना कृषि भूमि के जो कि विरासतन है, वादीगण अपना …रण–पोषण करने में असमर्थ है। इसके अलावा प्रतिवादीगण उक्त कृषि भूमि की कमाई का दुरूपयोग करने …ग गए है एव समस्त आय उपयोग व उपभोग अपनी निजी जरूरत, व्यस्नों पर खर्च करने लग गए हैं। …तिवादीगण की इन्ही आदतों के कारण वादीगण को उसकी मूलभूत जरूरतों हेतु भी विरासतन कृषि भूमि …की आय में से हिस्सा देने से प्रतिवादीगण ने इनकार कर दिया। इस कारण वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1,2 व 6 के मध्य अत्यधिक तनाव व मनमुटाव उत्पन्न हो गया तथा वादीगण व प्रतिवादीगण एक दूसरे के साथ लडाई झगडा करने पर उतारू व आमदा हो गए जिस कारण परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा को गहरा आघात पहुंचा, जिस कारण दोनों पक्षों के रिश्तेदारों आदि ने वादीगण व प्रतिवादी सं. 1,2 व 6 के मध्य समझाइश कर उक्त विरासतन कृषि भूमि को लेकर गत बैसाखी पर बंटवारा व राजीनाम करवा दिया तथा उक्त राजीनामा मे बाद बंटवारा वादीगण व प्रतिवादीगण को नीचे वर्णित प्रकार से कृषि भूमि प्राप्त हुई है। जिस पर वादीगण व प्रतिवादीगण बंटवारा के रोज से ही काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। उक्त कृषि भूमि में प्रतिवादीगण सं. 3 ता 5 ने अपने समस्त विरास्तन हक हिस्सा का परित्याग वादी अपने पुत्र/भाई/पति वादी व प्रतिवादी 2 के पक्ष में बहिब कर दिया है। इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 7 ता 9 ने भी उक्त विरासतन कृषि भूमि में अपने विरासतन हक हिस्सा का परित्याग अपने पुत्र/भाई/पति वादी सं. 2 व प्रतिवादी सं. 6 के पक्ष में बहिब कर दिया। इसके अलावा प्रतिवादी सं 1 की पुत्री व प्रतिवादी सं. 2 व 6 की बहिन व वादीगण की भुआ प्रतिवादी सं. 10 ने भी अपने विरासतन हक हिस्सा का परित्याग अपने पिता व सगे भाईयों प्रतिवादी सं. 1, 2 व 6 के पक्ष में बहिब कर दिया है। अब प्रतिवादी सं. 3 ता 5 व 7 ता 10 का उक्त विरासतन कृषि भूमि में कोई हित व स्वत्व निहित नहीं रहा है। उक्त बंटवारा के रोज से ही वादीगण व प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्सा में आई भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:–

क– वादी सं. 1 लवदीप सिंह के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि

चक 25/1 एएमपी खाता सं. 30/22

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
98/179	75	2,3/0.228है.प्र 8,9,12,13,18,19,22,23/0.253है.प्र /0.050है. गै.मु. रास्ता कुल 2.530है. मय गै.मु. नहरी कृषि भूमि

चक 21 एमजेडी के खाता सं. 21/23

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
92/180	16	2/0.228है, 3/0.227है. 8,9/0.253है.प्र 12/1/0.127है. 13/0.184है. 18,23/0.114है.प्र. व 0.051है. गै.मु. खाला कुल 1.551है. मय गै.मु. नहरी कृषि भूमि

चक 29 एएमपी खाता सं. 15/14

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
89/177	46	16,17/0.253है.प्र. 24,25/0.215है.
89/178	49	4/2/0.089है. 5/0.253है. 0.076है. गै.मु. रास्ता कुल 1.354है. मय गै.मु. नहरी कृषि भूमि

ख– वादी सं. 2 लखविन्द्र सिंह के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि चक 25/1 एएमपी खाता सं. 64/46

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
99/175	46	3,4/0.253है.प्र. 5/0.089है. 8,13/0.253है.
101/176	57	7,14,17,22,23,24/0.253है.प्र.
101/177	62	1/1/0.190है. 1/2/0.025है. रास्ता 10/1/0.095है. 10/2/0.012है. रास्ता 0.038है. गै.मु. रास्ता कुल 2.979है. मय गै.मु. कृषि भूमि

चक 10 डीएलपी खाता सं. 14/13

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
106/187	24	12,13,19,22/0.253है.प्र.

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.08.06 13:37:2…
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

106 / 188 41 2,9,12,19 / 0.253है. प्र. 21 / 1 / 0.048है. 22 / 0.253है.
कुल 2.325है. नहरी कृषि भूमि

चक 19 एमजेडी खाता सं. 23 / 14

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
104 / 183	50	4 / 0.253है. 5,6 / 0.228है. 7 / 0.253है व 0.050है. गै.मु. रास्ता
		कुल 1.012है. मय गै.मु. नहरी कृषि भूमि

ग– प्रतिवादी सं. 2 गुरदीप सिंह के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि चक 25 / 1 एएमपी खाता सं. 30 / 22

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
97 / 178	69	21,22,23,24 / 0.253है.प्र
97 / 179	76	1,2,3 / 0.228है.प्र 8,9 / 0.253है.प्र.
98 / 178	70	25 / 0.253है.
99 / 177	64	9 / 0.190है. 10,11 / 0.253है. 12 / 0.228है. 13 / 0.038है. 20 / 0.152है.
99 / 178	71	11,12,19,20,21,22 / 0.253है.प्र. 0.076है. गै.मु. रास्ता
		कुल 5.163है. मय गै.मु. नहरी कृषि भूमि

चक 25 / 1 एएमपी खाता सं. 64 / 46

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
101 / 177	62	10 / 3 / 0.146है. 11,12,19,20 / 0.253है.
		कुल 1.158 मय गै.मु. नहरी कृषि भूमि

घ– प्रतिवादी सं. 6 ईकबाल सिंह के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि
चक 25 / 1 एएमपी खाता सं. 64 / 46

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
10[illegible] / 176	57	8,12,13,18,19 / 0.253है.प्र.
		कुल 1.265है. नहरी कृषि भूमि

चक 19 एमजेडी खाता सं. 23 / 14

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
104 / 183	50	14 / 0.253है., 15,16 / 0.228है 17 / 0.253है. 25 / 0.228है.
105 / 182	42	12,19,22 / 0.253है.
105 / 183	51	1,2,9,10,11,12,20,21 / 0.253है.प्र. 0.076है. गै.मु. रास्ता
		कुल 4.049है. मय गै.मु. नहरी कृषि भूमि

ड– प्रतिवादी सं. 15 राजकीय उच्च मा. विद्यालय बुगलावाली जरिए प्राधनाचार्य के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की भूमिः–
चक 25 / 1 एएमपी खाता सं. 30 / 22

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
97 / 179	76	10 / 0.253है.प्र.

कुल 0.253है. नहरी कृषि भूमि वादीगण बंटवारा के रोज से ही उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। परन्तु उक्त विरासतन कृषि भूमि जिसमें कि वादीगण का जन्म से प्राप्त हित व स्वत्व निहित है तथा वादीगण का जन्म से हित होने के कारण हिन्दू उत्तराधिकार विधिक् प्रावधानों के अनुसार हक व हिस्सा बनता है, परन्तु उक्त कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं. 1,2 व 6 के नाम से दर्ज है तथा उक्त प्रतिवादीगण आपस में मिलकर व अन्य दीगर व्यक्तियों के प्रभाव के कारण पूर्णतया बदयन्ती पर है तथा उक्त प्रतिवादीगण एवं अन्य लोग एक दूसरे के प्रभाव में है तथा छोटी छोटी बातों पर वादीगण को, वादीगण की उक्त कृषि भूमि को विक्रय करने एवं बेदखल करने की धमकी देते है। भविष्य में यदि प्रतिवादीगण अपने उक्त कृत्य में सफल हो जाते है तो वादीगण अपने विधिक व साम्पतिक अधिकारों से वंचित हो जावेंगे और वादीगण का उक्त कृषि भू[illegible] से प्राप्त हित व उतराधिकार विधिक अनुसार हक व स्वत्व निहित है तथा [illegible] कब्जाकाश्त में भी है। यदि प्रतिवादीगण अपने इस दुराश्य में सफल हो जाता है तो वादीगण को [illegible] क्षति होगी जिसकी पूर्ति धन द्वारा नहीं की जा सकेगी। उक्त व[illegible] उक्त कृषि भूमि को अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने व कब्जाकाश्त अनुसार अपना खाता विभाजित करवाने के विधिक रूप से अधिकारी व दावेदार है ताकि प्रतिवादीगण उक्त कृषि भूमि में वादीगण के हितों को प्रभावित न कर सके। वादीगण ने उक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रतिवादीगण से उसको उक्त विरासतन कृषि भूमि का बंटवारा व कब्जाकाश्तनुसार खातेदार काश्तकार घोषित करवाने व रकमराज अलग कायम करवाने का निवेदन किया तो पहले तो टाल मटोल करते रहे परन्तु गत सप्ताह ऐसा करने से कतई इनकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.08.06 13:37:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

हो गए। बस यही वाद कारण है। प्रतिवादीगण सं. 1 ता 10 एक ही संयुक्त हिन्दू सहदायिकी परिवार के सदस्य रहे होने के कारण तथा उनके नाम से विरासतन भूमि होने व उनमें उनका विरासतन हक हिस्सा दर्ज होने के कारण प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है तथा प्रतिवादी सं. 11 ता 13 के पास सहकाश्तकारान की भूमि रहन होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 14 को भू धारक होने के कारण प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है। इसके अलावा प्रतिवादी सं. 15 मौका पर 4 ड में दर्ज भूमि पर बना हुआ है तथा मौका पर संचालित हो रहा है। उक्त कृषि भूमि वादीगण के परिवार की दान की हुई भूमि है तथा प्रतिवादी सं. 15 के नाम ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है इस कारण प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है। वाद वादीगण घोषणा व विभाजन का है जो निर्धारित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत हे एवं माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है तथा हर प्रकार से अन्दर मियाद है।

अतः वाद वादीगण प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे कि वादीगण को वाद पत्र की चरण सं. 3 (अ) के अनुसार विरासतन कृषि भूमि में कब्जाकाश्त व बंटवारा व उतराधिकार विधि के प्रावधानों अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता विभाजित कर रकमराज अलग से कायम की जावे एवं उक्तानुसार प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 व 6 का हिस्सा कम किया जावे।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादीगण एवं प्रति.सं. 1,2,6,15 ने जरिये अधिवक्ता अपना राजीनामा प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 ता 5, 7 ता 10 ने इकबालदावा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 11 ता 13 बावजूद सूचना उपस्थित नही हुये। प्रतिवादी सं. 14 राज पैरोकार तहसीलदार (राजस्व) संगरिया की ओर से जबाव प्रस्तुत किया गया। जिसमें राज्य हित को विपरीत प्रभावित किये बिना वादीगण को याचित अनुतोश प्रदान करने में कोई आपत्ति नहीं की गई। प्रकरण में विवाधक न बनना पाये जाने पर साक्ष्य वादी रिकार्ड की गई। वादी संख्या 1 लवदीप सिह ने अपने साक्ष्य में आदेश 18 नियम 4 व्या.प्र.संहिता का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया तथा निम्नानुसार दस्तावेज प्रदर्श करवाये गयेः–

- चक 21 एमजेडी खाता सं. 20/130 की जमाबंदी प्रदर्श 1
- चक 29 एएमपी खाता सं. 16/14 की जमाबंदी प्रदर्श 2
- चक 25/1 एएमपी खाता सं. 30/22 की जमाबंदी प्रदर्श 3
- चक 19 एमजेडी खाता संख्या 21/14 की जमाबन्दी प्रदर्श 4
- चक 10 डीएलपी खाता संख्या 19/13 की जमाबन्दी प्रदर्श 5
- चक 25/1 एएमपी खाता सं. 64/46 की जमाबंदी प्रदर्श 6

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादीगण ने कथन किया कि 25/1 एएमपी खाता संख्या 64/46 रकबा 5.402है., 25/1 एएमपी खाता संख्या 30/22 कुल रकबा 7.946है., 10 डीएलपी खाता संख्या 14/13 कुल रकबा 2.325है., 29 एएमपी खाता संख्या [illegible] एमजेडी खाता संख्या 21/13 कुल रकबा 1.551है., 19 एमजेडी खाता संख्या 23/14 कुल [illegible] 5.0[illegible] कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 दलबारा सिह व प्रतिवादी संख्या 2 गुरदीप सिह एवं प्रतिवादी संख्या 6 [illegible] सिह के नाम दर्ज है जो हमारी जद्दी जायदाद है। बहस में यह भी कथन किया [illegible] प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया इस आधार पर वादपत्र को स्वीकार किया जावे है। पैतृक [illegible]ति साबित करने हेतु बतौर साक्ष्य में वकील वादीगण ने चक 21 एमजेडी, 29 एएमपी, 25 एएमपी, 19 एमजेडी, 10 डीएलपी की प्रमाणित जमाबन्दी प्रदर्श 1 ता 6 करवाई गई है के आधार पर वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित होने से वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Ku
Meena
Date: 2024.08.06 13:37:22 IS
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

89

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 ता 10 एक ही परिवार के सदस्य है। प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण के दादा व प्रतिवादी संख्या 2,6,10 के पिता है व वादी संख्या 1 की प्रतिवादी संख्या 3 माता 4 व 5 बहिन है एवं वादी संख्या 2 की प्रतिवादी संख्या 7 माता व 8, 9 बहन है। वादग्रस्त आराजी वाद पत्र के वर्णितानुसार प्रदर्श 1 ता 6 में प्रतिवादी संख्या 1,2,6 के नाम है। प्रतिवादी संख्या 3 ता 5, 7 ता 10 ने जरिये अधिवक्ता इकबालदावा पेश कर वाद को स्वीकार किया एवं वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1,2,6,15 ने आपस में आराजी की घोषणा बाबत राजीनामा पेश किया है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादी साबित है। प्रतिवादी संख्या 11 ता 13 बावजूद सूचना के उपस्थित नही आये। प्रतिवादी संख्या 14 की ओर से जवाब स्टेट पेश हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नही है। वादीगण के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया गया। प्रकरण में राजीनामा/सहमति का इकबालदावा पेश हो चुका है। परिणाम स्वरूप वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा मय सहमति के इकबालदावा अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादीगण डिक्री किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण उक्त राजीनामा/सहमति के इकबालदावा के आधार पर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि:-

क- वादी सं. 1 लवदीप सिंह के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि:-

	चक 21 एमजेडी के खाता सं. 20/13	
प.न.	मु.न.	किला नं.
92/180	16	2/1/0.228है.2/2/0.025 है.गै.मु.खाला 3/1/0.227है.3/2/0.025 है. 8, 9/0.253 है.प्र 12/1/0.127 है. 13/2/0.184 है. 18/2/0.144 है. 23/2/0.114 है.प्र. कुल 1.550 है. मय गै.मु. कृषि भूमि
	चक 29 एएमपी खाता सं. 16/14	
89/177	46	16,17/0.253 है.प्र. 24/1/0.215 है.24/2/0.038 है.गै.मु.रास्ता, 25/1/0.215 है. 25/2/0.038 है.गै.मु. रास्ता
89/178	49	4/2/0.089 है. 5/0.253 है. कुल 1.354 है. मय गै.मु. कृषि भूमि।

ख- वादी सं. 2 लखविन्द्र सिंह के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि

	चक 25/1 एएमपी खाता सं. 64/46	
प.न.	मु.न.	किला नं.
101/176	57	7,8,12 ता 14, 17 ता 19, 22 ता 24/0.253 है.प्र. कुल 2.783 है. कृषि भूमि
	चक 19 एमजेडी खाता संख्या 21/14	
105/182	42	12,19,22/0.253 है.प्र.
105/183	51	2, 9 ता 12, 20,21/0.253 है.प्र. कुल 2.530 है.कृषि भूमि

ग- प्रतिवादी सं. 2 गुरदीप सिंह के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि

	चक 25/1 एएमपी खाता सं. 30/22	
प.न.	मु.न.	किला नं.
97/178	69	21,22,23,24/0.253 है.प्र
97/179	76	1/1/0.228 है. 1/2/0.025 है. गै.मु.रास्ता 2/[illegible] है. 2/2/0.025 है. गै.मु. रास्ता, 3/1/0.228है. 3/2/0.025 है. गै.मु.[illegible] 8,9/0.253है.प्र.
98/178	70	25/0.253है.
99/177	64	9/1/0.190है. 10,11/0.253है. 12/1/0.228है. [illegible]/0.038है. 20/2/[illegible] 152है.
99/178	71	11,12,19,20,21,22/0.253है.प्र.
98/179	75	2/1/0.228 है. 2/2/0.025 है. गै.मु. रास्ता 3/1/0.228 है. 3/2/0.025 है. गै.मु. रास्ता 8,9,12,13,18,19,22,23/0.253 है. प्र. कुल 7.692 है. मय गै.मु. कृषि भूमि
	चक 10 डीएलपी खाता सं. 19/13	
106/187	24	12,13,19,22/0.253है.प्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.08.06 13:37:22
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

(90)

106/188	41	2/0.158है.कुल 1.170है. नहरी कृषि भूमि

घ– प्रतिवादी सं. 6 ईकबाल सिंह के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमिः–

चक 25/1 एएमपी खाता सं. 64/46		
प.न.	मु.न.	किला नं.
99/175	46	3,4/0.253 है.प्र. 5/3/0.089 है. 8,13/0.253 है.प्र.
101/177	62	1/1/0.215 है. 1/2/0.038 है. गै.मु. रास्ता 10 ता 12, 19,20/0.253 है.प्र. कुल 2.619 है. मय गै.मु. कृषि भूमि
चक 19 एमजेडी खाता सं. 21/14		
104/183	50	4/0.253 है. 5/1/0.228 है. 5/2/0.025 है. गै.मु. रास्ता 6/1/0.228है. 6/2/0.025 है. गै.मु. रास्ता 7,14/0.253 है.प्र. 15/1/0.228`. 15/2/0.025 है. गै.मु. रास्ता, 16/1/0.228 है. 16/2/0.025 है. रास्ता 17/0.253 है. 25/1/0.228 है. 25/2/0.025 है. गै.मु. रास्ता
105/183	51	1/0.253 है. कुल 2.530 है. मय गै.मु. कृषि भूमि
चक 10 डीएलपी खाता संख्या 19/13		
106/188	41	2/0.095 है. 9,12,19/0.253 है.प्र. 21/1/0.048 है. 22/0.253 है. कुल 1.155 है. मय गै.मु. नहरी कृषि भूमि

ड– प्रतिवादी सं. 15 राजकीय उच्च मा. विद्यालय बुगलावाली जरिए प्राधानाचार्य के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की भूमिः–

चक 25/1 एएमपी खाता सं. 30/22		
प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
97/179	76	10/0.253 है.प्र. कुल 0.253है. कृषि भूमि

अतः वादीगण एवं प्रतिवादीगण को उक्तानुसार खातेदार काश्तकार घोषित कर उक्तानुसार ही हिस्सा कम/नाम कलमजन कर खाता अलग–अलग कायम करने एवं इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 22.07.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास में सुनाया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.08.06 13:37:22
Reason: SelfAttested